



उत्तरांचल UTTARANCHAL

२१५७-५८

00AA 335431

संलग्न

५१६७५ २६



Swearings term to witness before me by
the Legislative Assembly
Bhawan Doshi
No. Gopal Nath road, Mill - Jubbulpur
P.O: Syedlary name / Akbar
Signature / Akbar
Time and date of recording / 20/10/12
the Deponent who is his witness
Signature / Akbar
Signature / Akbar

Oath Commissioner
Dehradoon
Date 20/10/12

Dehr
(अकबर)

प्रारूप-26

(नियम 4 के देखिए)

५७ सलट "सामाजि"

निर्वाचन क्षेत्र से

(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

तिधानसभा (सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष अम्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाला शपथ-पत्र

मैं, भवन जोशी पुत्र/पुत्री/पत्नी सीमेपाल इल जोशी

आयु ३० वर्ष, जो हाम जस्पुर पोल ट्रान्सोल (झल्लीला) का/की निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन से अम्यर्थी हूँ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ/शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ:-

1- मैं, ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दबंगीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें तक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

(यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी):

- (i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं नाम रही।
- (ii) पुलिस थाना (थाने) जिला (जिले) राज्य नाम रहा।
- (iii) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अम्यर्थी आरोपित किया गया है
- (iv) न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई
- (v) तारीख (तारीखों) जिनको आरोप विरचित किया गया था/किए गए थे
- (vi) क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैं नाम रहा।

2- मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिवित अधिनियम (1951) (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अन्तर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिए सिद्धादोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास से दंडादिष्ट किया गया है/नहीं किया गया है।

(यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धादोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा)

- (i) मामला प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं नाम रहा।
- (ii) न्यायालय, जिसने दंडित किया है

(7)

राम



- (iii) पुलिस थाना (थाने) जिला (जिले) राज्य
- (iv) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और उस अपराध (उन अपराधों का संक्षिप्त विवरण जिसके लिए अभ्यर्थी कभी आरोपित किया गया है) _____
- (v) तारीख (तारीखें) जिनको दंडादेश सुनाया गया था/सुनाए गए थे _____
- (vi) क्या दंडादेश सक्षम अधिकारिया वाले न्यायालय द्वारा रोका गया है/रोके गए हैं _____

स्थान: अमिसाक्षी
तारीख: ०५/११/१२

अमिसाक्षी के हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं, ऊपर नामित अमिसाक्षी, यह सत्यापित और घोषित करता/करती हूँ कि इस शपथपत्र की अंतर्वस्तु मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है और कोई तात्त्विक बात छिपायी नहीं गई है।

—अमिसाक्षी— स्थान पर आज तारीख ०५/११/१२ को सत्यापित किया।

अमिसाक्षी के हस्ताक्षर

टिप्पणी: इस प्ररूप के वे संग्रह, जो अमिसाक्षी को लागू नहीं है, काट दिए जाएं।

This affidavit is sworn before me by
Sh. Gopal Dutt Joshi S/o Gopal Dutt Joshi
who is identified by Sh. Abhay
at Amritsar on 05/11/12

Officer Commissioner
9/11/12 Ad.

(8)

(Roshni)